संख्या-17/2020/288/पाँच-9-2020-आर0एन0-288/2020

प्रेषक,

विजय विश्वास पन्त,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 22 मई, 2020

विषय:-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम अधीन भारत सरकार द्वारा अनुदान संख्या-83 के पूँजी लेखा में अवमुक्त केन्द्रांश एवं केन्द्रांश के सापेक्ष आंकलित राज्यांश की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि से आहरित कर राज्य स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त किये जाने की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-प0क0/4-बजट/अनु0 83/एन0एच0एम0/पूँजी लेखा/2020-21/2048, दिनांक 04.05.2020, पत्र संख्या-प0क0/4-बजट/अनु0 83/एन0 एच0एम0/पूँजी लेखा/2020-21/2236, दिनांक 23.04.2020 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 तथा शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-83 के पूँजी लेखान्तर्गत उपलब्ध बजट प्राविधान रू0 5259.87 लाख में से निम्नलिखित विवरणानुसार केन्द्रांश रू0 3137.00 लाख के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश रू0 2091.33 लाख को जोड़ते हुए अर्थात कुल रू0 5228.33 लाख (रू0 बावन करोड़ अट्ठाईस लाख तैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति आपके निवर्तन पर रखे जाने के लिये श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

भारत सरकार की स्वीकृति संख्या एवं तिथि	अवमुक्त केन्द्रांश	अनुमन्य राज्यांश	केन्द्रांश+राज्यांश
L-19016/01/2019 NUHM(PT-3) Date- 23.09.2019	84.00	56.00	140.00
G-27018/02/2019-NHM-F-NCD/48 Date- 30.10.2019	86.00	57.33	143.00
G-27017/37/2019-20NHM(F)/7 Date 31.12.2019	2943.00	1962.00	4905.00
L-19016/01/2019 NUHM(PT-3) Date- 31.12.2019	16.00	10.67	26.67
G-27017/44/2019-20NHM(F) Date- 28.02.2020	8.00	5.33	13.33
कुल योग	**3137.00**	**2091.33**	**5228.33**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/ बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 एवं शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(3) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 व मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 का होगा।

(4) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 व मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 द्वारा प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजना में दिये गये प्रयोजन पर किया जायेगा। उक्त के साथ ही प्रश्नगत योजना की गाइडलाइन्/दिशा-निर्देशों में दी गयी शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

(5) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 व मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 द्वारा इस योजना के लिये पूर्व में स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि धनराशि का उपयोग नियमानुसार इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना के प्रयोजन पर व्यय किया गया है।

(6) प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति/अवमुक्त कर राज्य स्वास्थ्य समिति को इस निर्देश के साथ उपलब्ध करायी जायेगी कि प्रश्नगत धनराशि का उपयोग भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में किया जायेगा। उक्त के साथ एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 की धनराशि का उपयोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिये जारी दिशा-निर्देशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ही किया जायेगा।

(7) महानिदेशक, परिवार कल्याण द्वारा निर्गत केन्द्राश के सापेक्ष नियमानुसार अपेक्षित व्यय सुनिश्चित करने के बाद ही राज्यांश की धनराशि का आहरण किया जायेगा।"

3- उपर्युक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-35 राजस्वलेखा के अन्तर्गत मुख्य लेखाशीर्षक "4211-परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-02-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-0201-चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण(के0-60/रा0-40-के0+रा0)-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र मद" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3 के अशासकीय संख्या-ई-3-478/दस-2020, दिनांक 19.05.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विजय विश्वास पन्त)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-17/2020/288/पाँच-9-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।

2- महालेखाकार (द्वितीय), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज ।

3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज ।

4- मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5- मुख्य कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण महानिदेशालय/एन0एच0एम0, लखनऊ।

7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8- वित्त (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम नगीना मौर्य)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।